न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी रणजीत सिंह आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 38/2025 प्रार्थना पत्र धारा 6ए

सरकार जरिये ब्रिजेश सेठी प्रवर्तन निरीक्षक माण्डल	बनाम	1. गोपी गुर्जर पुत्र देवा गुर्जर निवासी जिपिया खेडी तहसील माण्डल जिला भीलवाडा 2. महेन्द्र कुमार जाट पुत्र उदयलाल जाट निवासी तेजाजी चौक मंशा तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
–प्रार्थी		–विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थित –

1. विभागीय पेरोकार – प्रार्थी की ओर से
2. विपक्षी संख्या 01 का पुत्र एवं विपक्षी संख्या 02 स्वयं उपस्थित

निर्णय

दिनांक 16.10.2025

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना–पत्र अतंर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का विपक्षी के विरूद्ध प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया कि दिनांक 08.09.2025 को जिला रसद अधिकारी के नैतृत्व में टीम एन.एच. 48 धूलखेडा – जिपिया स्थित चाय की दुकान पर पेट्रोलियम पदार्थ के अवैध भण्डारण एवं खरीद बेचान की जांच वास्ते पहुंचे। मौका स्थल पर दुकान संचालक महेन्द्र कुमार जाट उपस्थित मिला। दुकान संचालक एवं दुकान मालिक ने हाईवे से गुजरने वाले ट्रकों व बसों से अवैध रूप से डीजल 80/– रूपये प्रति लीटर से खरीदकर 85/–रूपये प्रति लीटर से बाजार में बेचना स्वीकार किया। दुकान संचालक एवं मालिक ने उक्त पदार्थ के भण्डारण एवं विक्रय बाबत कोई दस्तावेज पेश नही किये। उक्त जांच से स्पष्ट है कि आरोपियों द्वारा अवैध रूप से पेट्रोल /तरल पदार्थ का भण्डारण व विक्रय किया जाकर मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल MSH&SD (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के नियम 2(7) के तहत अनाचार करते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध किया गया हैं। उक्त मिलावटी तेल 150 लीटर,03 खाली प्लास्टिक ड्रम क्षमता 200 लीटर, 01 लोहे का खाली ड्रम क्षमता 200 लीटर, 06 खाली ड्रम क्षमता 50 लीटर, 04 खाली ड्रम क्षमता 30 लीटर, 02 लोहे के पाईप, 10 प्लास्टिक पाईप, 01 मापा क्षमता 05 लीटर, 02 प्लास्टिक कूप को राजसात करने का आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 18.09.2025 को पंजीबद्व किया जाकर विपक्षी को वज़ह जाहिर हेतु नोटिस जारी किया गया। विपक्षी संख्या 01 का पुत्र एवं विपक्षी संख्या 02 स्वयं उपस्थित।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। दौराने बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया एवं कार्यवाही संबंधी पत्रादि के संदर्भ में निवेदन किया कि आरोपियों द्वारा अवैध रूप से पेट्रोल /तरल पदार्थ का भण्डारण व विक्रय किया जाकर मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल MSH&SD (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण)

अति० जिला कलक्टर भीलवाड़ा